शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जुलाई 2014

सम्पादकीय

विज्ञान युग में टूटेंगे भाषायी बंधन

डॉ.पुष्पेंद्र दुबे

हिन्दी भाषा को एक बार फिर कसौटी पर कसा जा रहा है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने हिन्दी भाषा को लेकर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसकी देषभर में सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुईं। हमेशा की तरह उत्तर भारतीयों ने केंद्र सरकार के हिन्दी प्रेम का बढ़-चढ़कर स्वागत किया और दक्षिण भारत से विरोध के स्वर सुनायी दिए। आजादी के इतने सालों बाद भी हम भाषा के प्रश्न पर इस कदर उलझे हुए हैं कि निकट भविष्य में इसके सुलझने की संभावना नजर नहीं आती। हम भारत के अतीत का स्मरण कर गौरवान्वित तो होते हैं, परंतु उस उपलब्धियों के पीछे निहित कारणों की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों का कहीं कोई उल्लेख नहीं था, तब भारत के ज्ञान का सूर्य अपनी पूरी आभा से चमक रहा था। उस ज्ञान की भाषा संस्कृत थी। अफगानिस्तान के गांधार से लगाकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लगाकर म्यानमार तक एक भाषा संस्कृत में ज्ञान-विज्ञान में पूर्ण विकास करना कोई छोटी बात नहीं थी। अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए उन विद्वानों को भी संस्कृत सीखना पड़ी, जिनकी भाषा संस्कृत नहीं थी। हजारों सालों से प्रवहमान संस्कृत ने इस देश की सांस्कृतिक एकता की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक ओर जहां दुनिया की अनेक प्राचीनतम भाषाएं चलन से बाहर हो गई हैं, जिनके अर्थ करने के लिए विषेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, वहीं भारत में संस्कृत भाषा आज भी जीवित भाषा के रूप में मान्य है। भारत में भाषा के क्षेत्र में रोजगार की विषाल संभावनाएं उपस्थित हैं। अभी तक की सभी सरकारों ने भारत की सभी भाषाओं की उपेक्षा की है। सरकारी संस्थान अहिंदी भाषी लोगों को हिन्दी सीखने पर अनेक सुविधाएं प्रदान करते हैं, परंतु हिन्दी भाषी द्वारा दक्षिण अथवा पूर्वोत्तर की भाषा सीखने पर कोई प्रोत्साहन नहीं है। हम जब भारत छोड़कर किसी अन्य देश में जाते हैं, तो वहां की भाषा सीखने में एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं, परंतु हम अपने ही देश के किसी ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं जहां हमारी मातृभाषा अथवा हिन्दी चलन में नहीं होती, वहां हम अंग्रेजी से अपना काम चलाते हैं। अहिन्दीभाषियों के लिए सरकार ने हिन्दी सीखने-सिखाने की व्यवस्था की है, परंतु उत्तर भारतीयों के लिए अन्य भाषा सीखने की कोई व्यवस्था नहीं की है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी भाषाओं को अपनी समृद्धि का जरिया न बनाकर उसे राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने का हथियार बना रहे हैं। भाषायी झगड़े शांत करने के लिए सरकार की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में भारत की सभी भाषाओं को सीखने-सिखाने की निःषुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। सभी प्रादेशिक सूचनाओं का प्रसारण देवनागरी लिपि में करने का प्रावधान करना चाहिए। विज्ञान के युग में भाषा के बंधन अंततः टूटने ही वाले हैं।